


FROM No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत नमूना 3 कोर्ट एव 8.00. मुकाम वायव्य

रामाराम बनाम डूंगराशम कोर्मा

किस्म मुकदमा नं. 88, 53, 100 RACT नं. 172/15 सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/12/15	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रवेनाराम जायस एडो</u> ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा <u>88, 53, 100 RACT</u> राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/02/16</u> को पेश हो।</p>	
15/02/16	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट सम्मन तारीख क्रम तामिल अपील/इन्तजा योक्त पत्रावली का दिनांक 06/04/16 को पेश हो।</p>	
9.6.2020	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई, वादी डा. विष्णुभाभी खेराराम के Not Press किया। वाद Not Press में करिज किया। ही Covid-19 के कारण रेटोरेक नवीनवाद को खसल देय होगा। पत्रावली- कसल दे प्रार ले कर नम्बर ले कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  <u>9.6.2020</u> </p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) वायव्य </p>	

